न्यायालय जिला कलक्टर (मध्यस्थता अधिकारी) बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 41/प्रा.पत्र/2024
(GCMS No. 2024/53)

तारीख दायरा
21.02.2024

तारीख निर्णय
18.02.2025

राजेश पुत्र जगदीश जाति मीणा
निवासी ग्राम नयागांव, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी

— प्रार्थी

बनाम

1.सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाखेरी
2.भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली जरिये
परियोजना निदेशक, परियोजना कियान्वयन इकाई म.नं.12
श्याम सरोवर पटेल नगर, आलनपुर, सवाई माधोपुर

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से श्री दिनेश पारीक, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री मुकेश कुमार शर्मा, एडवोकेट।

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी द्वारा बून्दी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148 एन के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि ग्राम लबान, तहसील इन्द्रगढ की आराजी खसरा सं374, 375, 362 हैक्टेयर बाबत पारित अवार्ड से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा नष्ट हुये पेडों के बाजार मूल्य का नियमानुसार पंचाट के अधिकारिता के अनुसार उचित मुआवजे का निर्धारण किया जाकर मुआवजा दिलावाये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 41/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/53 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे की कृषि भूमि खसरा संख्या 373, 375, 362 वाके ग्राम नयागांव (दौलतपुरा) तहसील इन्द्रगढ में विस्थित है। उक्त भूमि दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस–वे के लिए अप्रार्थीगण द्वारा अवाप्त की गई है और भूमि का मुआवजा प्रार्थी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। अवाप्त की गई भूमि पर प्रार्थी के फलदार पेड खसरा संख्या 373 में बनाना के 15 पेड, जामुन का 1 पेड, पपाया के 20 पेड, सफेदा का 1 पेड, नीम का 1 पेड भूमि अवाप्ति में नष्ट हुये है। भूमि खसरा संख्या 375 में जामुन के 2 पेड, बबूल के 2 पेड 25 पेड नष्ट हुये है जबकि भूमि खसरा संख्या 362 में बनाना के 25 पेड नष्ट हुये है। जिनका मुआवजा प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.04.22 को अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अप्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही अब तक निस्तारण किया जाकर आदेश प्रदान किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से दिनांक 11.08.2023 को अप्रार्थी सं.1 को एक पंजीकृत सूचना पत्र भी प्रेषित किया गया किन्तु अब तक भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार उसके पेड पौधों की हुई क्षति की मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई, जो कि स्पष्ट इन्कारी की संज्ञा में आता है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से समस्त रिकार्ड को मंगवाया जाकर नष्ट हुये पेडों के बाजार मूल्य का नियमानुसार पंचाट के अधिकारिता के अनुसार उचित मुआवजे का निर्धारण किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी सं.2 द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं.148 एन दिल्ली–बडोदरा के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण करने बाबत राष्ट्रीय राजमार्ग अधि. की धारा 3(क)(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के विरूद्ध उसभूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा धारा 3–ए के नोटिफिकेशन जारी होने की दिनांक के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियां सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाकर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा धारा 3–डी के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की जाती है। सक्षम अधिकारी(भूमि अवाप्ति) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3–ए,बी,सी,डी,ई,

जिला कलेक्टर, बून्दी

(जी) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के डीएलसी के आधार पर मूल्यांकन कराकर मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि निर्धारित की जाती है। उक्तानुसार अवार्ड राशि का निर्धारण किया जाकर मुआवजा राशि मुताबिक अवार्ड आदेश हितबद्ध व्यक्ति के नाम भुगतान हेतु जमा की जाती है।

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर पेड स्थित होना तथा उक्त भूमि अवाप्त कर लिये जाने से मौजूद पेडों का मुआवजा नहीं दिये जाने की आपत्ति की गई है किन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये, जिससे उक्त भूमि अवाप्त होना, अवाप्ति से प्रभावित पेडों की संख्या तथा उक्तानुसार मुआवजा राशि का मूल्यांकन नहीं किया जाना प्रकट हो सके। अवार्ड आदेश की प्रति एवं नष्ट हुये पेडों की संख्या के अभाव में प्रार्थी मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनगढन्त एवं निराधार तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 पेश किया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148 एन दिल्ली से बडौदरा निर्माण में ग्राम नयागांव (दौलतपुरा), तहसील इन्द्रगढ में विस्थित प्रार्थी के स्वामित्व की अवाप्त की गई भूमि खसरा सं. 373, 375, 362 पर नष्ट हुये पेडों का मुआवजा भुगतान नहीं किये जाने की आपत्ति प्रकट करते हुये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाखेरी को श्री दिनेश पारीक एडवोकेट द्वारा जारी नोटिस की छायाप्रति, प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी लाखेरी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाखेरी द्वारा परियोजना निदेशक, एनएचएआई सवाईमाधोपुर को जारी पत्र की प्रति संलग्न पेश की गई है, किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि 373, 375, 362 पर उसके स्वामित्व के संबंध में नकल जमाबंदी पेश नहीं की गई। उसके स्वामित्व में स्थित उक्त भूमि में से किस किस खसरा नम्बरान की कितनी कितनी भूमि अवाप्त की गई, इस संबंध में प्रार्थी को जारी कोई नोटिस संलग्न नहीं है। किस किस प्रकार के कितने कितने पेड अवाप्तशुदा भूमि पर मौजूद रहे है, इसके संबंध में मौका रिपोर्ट संलग्न नहीं है। अवाप्तशुदा भूमि में स्थित कितने पेडों का किस प्रकार से मुआवजा तय किया गया, इस संबंध में अवार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है, इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपनी आपत्ति के समर्थन में कोई प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि National Highway Act 1956 की धारा 3-G (5) में उल्लेखित है कि If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government." विधि के उक्त प्रावधान के अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 में यह न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम या ज्यादा के संदर्भ में ही आदेश पारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं को सुनने व तय करने का कोई क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये, जिससे यह प्रकट हो सके कि प्रार्थी के स्वामित्व की कितनी भूमि अवाप्त की जाकर अवाप्त भूमि एवं उस पर स्थित कितने पेडों का कितना मुआवजा निर्धारित किया गया तथा वह वास्तव में कितना मुआवजा प्राप्त करने का हकदार था। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 में प्रार्थी यहां कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उसके खाते की अवाप्त भूमि पर स्थित पेडों के अवार्ड में मुआवजा राशि कम होने को चुनौती नहीं दी गई है, अपितु प्रार्थी द्वारा पेडों का नये सिरे से मुआवजा तय किया जाकर प्रार्थी को भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थना पत्र सारहीन पाया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)5 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति जिला अभिलेखागार में प्रविष्ट कराई जावे।

आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी